भारत टाइम्स

रविवारीय संस्करण

पटना, रविवार १० मार्च, १९९१

वर्ष ९ विक्रम २०४७

छह लाख से ज्यादा बिकने वाला एकमात्र हिन्दी रविवारीय

अंदर

'लालटेन राज' के सही परिप्रेक्ष्य का अभाव

मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का एक खास विशेष लेखमाला पृष्ठ ४ और ५ पर

भ्रष्टाचार को ढंकने में ऐसे कामयाब हुए लालू

आलोक मेहता

पटना, ९ मार्च। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक वर्ष के राज में आकस्मिक जनसभाओं के लिए भले ही बड़े-बड़े अफसरों को सीख खराब की हो, अपने प्रिय 'चहुमालस' विभाग की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करने में कड़ाई से रोक दी है। पहले यह जांच के आदेश पर हस्ताक्षर करते रहे, फिर फाइल मंगाकर अपने हाथ में बंद कर लेते रहे।

इस कारगुजारी का कच्चा चिट्ठा रखने पर लालू यादव क्या फिर कह सकते हैं कि 'यह मनगढ़ंत राइम्स का षड्यंत्र है?' क्योंकि यदि इस बात को भी षड्यंत्र का हिस्सा माना जाए तो उन्हें अपने सहयोगी मंत्री, मुख्य सचिव कमला प्रसाद और अपने संविधानक से ही संकल्पना होगा, क्योंकि हम अपनी दलितों में जो विश्वास है रहे हैं, या उनकी अपनी जानकारी में एसी इस फाइल में है, जिस पर तत्कालीन पशुपालन मंत्री रामजीवन सिंह, मुख्य सचिव कमला प्रसाद और स्वयं श्री लालू प्रसाद यादव के हस्ताक्षर हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के उनके पाखंड फार्मूले की सराहना की जा सकती है, आलोचना करना बुद्धू कठिन होगा। लाइट फाइल (संख्या-सं. (२) ११६/९० पर एक नजर डाली जाए। श्री लालू यादव के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से प्रभावित उनके सहयोगी मंत्री रामजीवन सिंह ने १० अगस्त, १९९० को चार पृष्ठों की एक रोचनीय टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री को भेजी। इस फाइल में 'पशुपालन विभाग द्वारा १९८० से १९८९ के बीच गरीब ग्रामीणों को पशुओं के वितरण में की गई करीब २० करोड़ रुपए की हेराफेरी के संबंध में महालेखाकार, बिहार की रिपोर्ट श्री मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई।

उस महालेखाकार श्री एस. अम्बा ने ९ अप्रैल, १९९० को बिहार सरकार के वित्त सचिव को अपने रोचनीय प्रतिवेदन में बताया कि एसी स्थित क्षेत्रीय पशुपालन कार्यालय ने पशुओं को दे डालने के लिए जिन दूसरों का विवरण दिया है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर देखने से पता चला कि वे कार, स्कूटर वैगन, स्कूटर और ट्रैक्टर के नंबर हैं। फिर यह बात भी अविश्वसनीय है कि एक-एक दूध में जो सौ भैंस या सात सौ बकरियां भेज दी गई। इतनी छोटी में पशु एक दूध में घरे ही रखी जा सकते और न कार या स्कूटर पर भैंस, सांड या बकरी भेजी जा सकती है।

फाइल में मंत्री श्री रामजीवन सिंह ने बताया कि 'महालेखाकार ने इस मामले की विस्तृत जांच का निर्देश दिया है। प्रतिवेदनों से विदित होता है कि केंद्रीय सरकार की इस परियोजना के कार्यान्वयन में काफी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। चहु परियोजित के वितरण में सरकार द्वारा निर्धारित मानक सिद्धांतों को भी नहीं अपनाया गया। जानार है- कोई भी परियोजित मुफ्त वितरित नहीं की जाए, बांटे जाने वाले पशुओं को सरकारी नंबर दिया जाए वितरित किए गए पशुओं का बीमा कराया जाए इन पशुओं का निरीक्षण प्रतिमाह प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी करें। मृत पशुओं का पोस्टमार्टम हो। जबकि इस योग में बांटे गए सभी पशु 6 माह में मर गए, लेकिन किसी एक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारी ने उपर्युक्त किसी भी नियम का अनुपालन सम्भवतः जानबूझकर नहीं किया है। यह सारे मामले को संदिग्ध बना देता है।

मंत्री ने टिप्पणी में लिखा कि अगर १९८० से १९९० के कार्यकलापों की पूरी जांच कराई जाए तो प्रकाशित हो जाएगा कि इस प्रयोजन के अनुपालन में कहां पैमाने पर सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी हुई है। मुझे संदेह है कि पशुओं का वितरण भी हुआ है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विकल्प है कि समूचे मामले की नए सिरे से जांच कराई जाए। यह मामला और अधिक गंभीर इसलिए हो जाता है कि गरीब आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए किया प्रयोजन के असाधारण ढंग से गड़बड़ी की गई है। जिससे इस वर्गों तक इसकी लाभ किसी का लाभ नहीं गया है। मेरा प्रस्ताव है कि १९८०-९० तक की अवधि में इस परियोजना के अंतर्गत हुई गड़बड़ी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए। चूंकि इस योजना के लिए मेरा केंद्रीय सरकार ने दिया था और लगभग २० करोड़ रुपए का इसमें जुड़ा हुआ है। अतः केंद्रीय जांच ब्यूरो से इसकी जांच वांछनीय होगी।

पशुपालन मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी गई यह टिप्पणी २० अगस्त १९९० को मुख्य सचिव श्री कमला प्रसाद के पास भेज दी गई। मुख्य सचिव ने राय दी कि जांच का आदेश राज्य की सी.आई.डी. शाखा को सौंपा जा सकता है। उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस सिफारिश पर १२ सितम्बर १९९० को हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन फिर १६ सितम्बर १९९० को ही मुख्य सचिव को लिखित में सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा सचिव की राय जो गई। अतः निर्देशानुसार सचिव भेजी जा रही है।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ साहस मुख्यमंत्री के इस फाइल को तार्किक अंत तक क्यों करेगा? ३० अप्रैल के घोटाले की शाह के आदेश का संकेत भी क्यों गया और जांच से पहले फाइल मुख्यमंत्री को लौटाने में बंद हो गई। अब जांच अखबार या विधानसभा में सवाल उठाए तो उत्तर यही न मिलेगा कि 'अरे मुख्यमंत्री ने तो आई.डी. जांच के आदेश दिए थे। फाइल कहीं अलमारी में दब गई तो कोई क्या करे।' लेकिन ३० करोड़ के घोटाले वाली फाइल ही मुख्यमंत्री कार्यालय में क्यों दब जाती है? इस बीच लाख के चारों ओर केवल डंके क्यों पड़ जाते हैं? नहीं ये कार्रवाई करना चाहते थे, तो नरसिंहा के बाद आज ९ साल तक यह फाइल उनके कमरे में दफन क्यों गई?

उनके इरादे नेक होंगे, लेकिन एक वरिष्ठ हिंदी अखबार का सही उनके अपने घर का है। क्या इसके बाद वे उनके घर में होने वाले भ्रष्टाचारों की जांच कराएंगे?

और हां यह भी जांच का विषय है कि रविवासल पुनर्गठन में श्री रामजीवन सिंह से 'पशुपालन विभाग' क्या ऐसी जांच पड़ने पड़ने के कारण छिन गया?